अनवान कर्मजीत सिंह बनाम राजपाल कौर
वाद मुकदमा नं.25/2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – रणजीत कुमार, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 25/2022

अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम एवम् 136 एलआर एक्ट

1. कर्मजीत सिंह उर्फ परमजीत सिंह पुत्र स्व0 श्री हरचरण सिंह, आयु करीब 54 वर्ष, जाति जट सिख, निवासी चक महाराजका, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. जितेन्द्रपाल कौर पत्नी श्री कर्मजीत सिंह उर्फ परमजीत सिंह, आयु करीब 50 वर्ष, जाति जट सिख, निवासी चक महाराजका, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. मनजीत सिंह पुत्र स्व0 श्री हरचरण सिंह, आयु करीब 62 वर्ष, जाति जट सिख, निवासी चक महाराजका, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

....वादीगण

—:: बनाम —::

1. (राजपाल कौर पुत्री स्व0 श्री हरचरण सिंह पत्नी श्री बलजिन्द्र सिंह, आयु करीब 58 वर्ष, जाति जट सिख, निवासी मुरादवाला दल सिंह, तहसील व जिला फाज़िल्का (पंजाब)।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर।

—— प्रतिवादीगण

उपस्थित–	अधिवक्ता श्री कुलवन्त सिंह	वादी
	अधिवक्ता श्री सीता राम सुथार	प्रतिवादी 1
	पैरोकार राज श्रीगंगानगर व सादुलशहर	(प्रति.–2 व 3)

—:: निर्णय ::—

दिनांक **20.09.2024**

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादीगण का संयुक्त हिन्दू परिवार था जिसके मुखिया स्व0 जंग सिंह थे। वादी संख्या 1 व 3 एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता श्री हरचरण सिंह की मृ[illegible] है। वादी संख्या 1 व 3 एवं प्रतिवादी संख्या 1, स्व0 हरचरण [illegible] प्रथम [illegible] वारिसान हैं। वादी संख्या 1 व 3 एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता [illegible] ससुर स्व0 हरचरण सिंह पुत्र स्व0 जंग सिंह को अपने पूर्वजों से विरासत [illegible] भूमि प्राप्त हुई थी। [illegible] हरचरण सिंह ने विरासतन प्राप्त हुई कृषि भूमि/सम्पत्ति [illegible] आय से कुछ आराजी [illegible] परिवार के सदस्यों के नाम से अर्जित की गई जो कि संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित सम्पत्ति कायम हुई। वर्तमान में वादीगण एवं स्व0 हरचरण सिंह के नाम निम्न प्रकार से कृषि भूमि दर्ज कागजात राज हैः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2024.10.25 17:55:55 IST
Reason: SelfAttested

[signature] [illegible] (राजस्व)

Scanned with CamScanner

क्र0 सं0	चक	खाता सं0	रकबा का विवरण
1.	1–एल.एन.पी.	113 / 91	**मु0 न0 24, 40, 55, 65 व 67 की कुल 13.892 है0** परमजीत सिंह का हिस्सा 4631 / 13892 मनजीत सिंह का हिस्सा 2315 / 6946 स्व0 हरचरण सिंह का हिस्सा 4631 / 13892
2.	1–एल.एन.पी.	16 / 17	**मु0 न0 49 की कुल 2.302 है0** कर्मजीत सिंह का हिस्सा 433 / 1151 मनजीत सिंह का हिस्सा 867 / 2302 जितेन्द्रपाल कौर का हिस्सा 569 / 2302
3.	2–एल.एन.पी.	131 / 98	**मु0 न0 6 की कुल 1.644 है0** परमजीत सिंह का हिस्सा 1 / 3 मनजीत सिंह का हिस्सा 1 / 3 स्व0 हरचरण सिंह का हिस्सा 1 / 3
4.	12–बी.जी.एस.	114 / 114	**मु0 न0 12 की कुल 3.162 है0** स्व0 हरचरण सिंह का हिस्सा 3.162 है0

प्रतिवादी संख्या 1 की शादी संयुक्त परिवार की जद्दी–जायदाद की आय से की गई एवं प्रतिवादी संख्या 1 को उसकी शादी में काफी कुछ उपहार स्वरूप दिया गया। वादीगण अपने पूर्वज स्व0 हरचरण सिंह के साथ मिल कर संयुक्त परिवार की पैतृक सम्पत्ति काश्त करते रहे व आय अर्जित करते रहे। इसी आय से संयुक्त परिवार के सदस्यों के नाम से कुछ आराजी क्रय की गई जो कि संयुक्त हिन्दू परिवार की संयुक्त सम्पत्ति बनी जिसमें संयुक्त हिन्दू परिवार के सभी ब्चंतबमदमत सदस्यों का जन्म से ही हक व हिस्सा निहित रहा। संयुक्त परिवार के सदस्य हरचरण सिंह की मृत्यु होने पर संयुक्त परिवार में मनमुटाव रहने लगा। इस पर संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों द्वारा संयुक्त परिवार में आपसी सद्भावना व प्रेम बनाये रखने के लिये आपस में मिल–बैठ कर मौखिक पारिवारिक समझौता कर लिया। मौखिक पारिवारिक समझौता के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 1 ने संयुक्त हिन्दू परिवार की कृषि भूमि में से अपना समस्त हक व हिस्सा अपने भाईयों वादी संख्या 1 [illegible] जीत सिंह एवं वादी संख्या 3 मनजीत सिंह के पक्ष में मौखिक [illegible] परित्याग कर दिया एवं वादीगण ने संयुक्त परिवार की कृषि भूमि का [illegible] मौखिक पारिवारिक समझौता के माध्यम से विभाजन कर लिया [illegible] पारिवारिक समझौता के आधार पर वादीगण तथा वादी संख्या 1 व 3 [illegible] पिता एवं वादी संख्या 2 के ससुर स्व0 हरचरण सिंह के नाम दर्ज संयुक्त कृषि भूमि का, रकबे की अच्छी–माड़ी किस्म तथा खाल व रास्ते को ध्यान में रखते हुए, आपस में विभाजन किया गया था, लेकिन इसकी लिखित नहीं की जा सकी थी। भविष्य में पारिवारिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2024.10.25 17:55:55 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] (राजस्व)

Scanned with CamScanner

के और बढ़ जाने व परिवार के सदस्यों में भविष्य में कभी कोई मनमुटाव पैदा न हो तथा आपस में भाईचारा बना रहे एवं किसी प्रकार का विवाद न हो, इन समस्त बातों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त परिवार के सदस्यों द्वारा पूर्व में किये गये मौखिक पारिवारिक समझौता को दिनांक 14.01.2022 को लिखित रूप में तहरीर करवाया गया। लिखित पारिवारिक समझौता दिनांक 14.01.2022 में, प्रतिवादी संख्या 1 राजपाल कौर द्वारा पूर्व में संयुक्त परिवार की समस्त कृषि भूमि में से अपने हक व हिस्से को वादी संख्या 1 व 3 के पक्ष में परित्याग किये जाने के कथन को लिखित रूप में निष्पादित करवाया गया। दस्तावेज लिखित पारिवारिक समझौता (Family settlement) दिनांकित 14.01.2022 के अनुसार निम्न प्रकार से रकबा वादीगण के हिस्सा में आया है:–

(i) **वादी संख्या 1 कर्मजीत सिंह उर्फ परमजीत सिंह के हिस्सा व कब्जा में आई कृषि भूमिः–**

a) चक 2–एल.एन.पी., तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 131/98, **मुरब्बा नम्बर 6** के किला नम्बर 3/2, 7, 8/2, 13/2, 14, 17, 18/1, 23/2 व 24 की **1.644 हैक्टेयर नहरी।**

b) चक 1–एल.एन.पी., तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 113/91, **मुरब्बा नम्बर 65** के किला नम्बर 1, 2, 3/1, 8/2, 9, 10, 11, 12, 13/1, 18/2, 19, 20, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1 व 23/3 की **3.162 हैक्टेयर** नहरी मय खाला तथा **मुरब्बा नम्बर 67** के किला नम्बर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2,

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25/1 व 25/2 की **5.566 हैक्टेयर** नहरी मय खाला।

इस प्रकार कुल वादी संख्या 1 को प्राप्त कुल रकबा 1.644 + 3.162 + 5.566 = 10.372 हैक्टेयर।

(ii) **वादी संख्या 2 जितेन्द्रपाल कौर के हिस्सा व कब्जा में आई कृषि भूमिः–**

a) चक 1–एल.एन.पी., तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 113/91, **मुरब्बा नम्बर 67** के किला नम्बर 1/1, 1/2, 2 व 3 की **0.759 हैक्टेयर** नहरी मय खाला।

इस प्रकार कुल वादी संख्या 2 को प्राप्त कुल रकबा 0.759 हैक्टेयर।

उक्तानुसार वादी संख्या 1 व 2, जो कि पति–पत्नी हैं, को प्राप्त कुल रकबा 10.372 + 0.759 = 11.131 हैक्टेयर।

(iii) **वादी संख्या 3 मनजीत सिंह के हिस्सा व कब्जा में आई कृषि भूमिः–**

a) चक 1–एल.एन.पी., तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 113/91, **मुरब्बा नम्बर 24** के किला नम्बर 21/3, 22/2, 23/2, 24/2 व 25/2 की **0.065 हैक्टेयर** नहरी तथा **मुरब्बा नम्बर 40** के किला नम्बर 23/2, 24/2 व 25/2 की **0.039 हैक्टेयर** खाला, **मुरब्बा नम्बर 55** के किला नम्बर 3,

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2024.10.25 17:55:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8, 13, 14/1, 14/2, 15/1, 15/3, 15/4, 16/1, 16/2, 17, 18, 19/1, 19/2, 22, 23, 24, 25/1 व 25/2 की **4.301 हैक्टेयर** नहरी मय खाला।

b) चक 1—एल.एन.पी., तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 16/17, **मुरब्बा नम्बर 49** के किला नम्बर 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, 9 व 10/1 की **2.302 हैक्टेयर** नहरी मय खाला।

c) चक 12—बी.जी.एस., तहसील सादुलशहर के खाता संख्या 114/114, **मुरब्बा नम्बर 12** के किला नम्बर 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/2, 3/4, 8/2, 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12, 13/1, 18/2, 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22 व 23/1 की **3.162 हैक्टेयर** नहरी मय रास्ता।

इस प्रकार वादी संख्या 3 को प्राप्त कुल रकबा 0.065 + 0.039 + 4.301 + 2.302 + 3.162 = 9.869 हैक्टेयर।

पारिवारिक समझौता में वादी संख्या 3 को वादी संख्या 1 व 2 (जो कि पति—पत्नी हैं) के रकबा से 1.262 हैक्टेयर रकबा कम प्राप्त हुआ है। रकबा में उक्त अन्तर इसलिये है क्योंकि पारिवारिक बंटवारा रकबे की अच्छी—माड़ी किस्म को ध्यान में रखते हुए किया गया है एवं प्रतिवादी संख्या 3 मनजीत सिंह को दो तहसीलों में रकबा प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से वर्तमान में वादीगण उक्त रकबा, जो कि पारिवारिक समझौता के अनुसार उनके हिस्सा में आया है, पर काबिज चले आ रहे हैं एवं इसी प्रकार से ही वादीगण अपने—अपने हिस्सा में आये रकबा को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाना चाहते हैं। वादीगण ने प्रतिवादीगण से बार—बार आग्रह किया कि वादीगण के द्वारा पारिवारिक समझौता दिनांक 14.01.2022 से किये गये उक्त विभाजन को मान्यता देकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने का आदेश देवें व वादीगण के नाम से उक्त रकबा अनुसार जमाबन्दी बनाई जावे, मगर वे टाल—मटोल करते रहे और अन्ततः प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 15.02.2022 को ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया गया व कहा गया कि आदेश लाने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम से उक्तानुसार रकबा दर्ज किया जायेगा। अतः यही बिनाए मुखासमत है तथा दावा लाना आवश्यक हो गया है। वादी संख्या 1 का सही व वास्तविक नाम कर्मजीत सिंह व सिधू है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में वादी संख्या 1 का नाम कहीं कर्मजीत सिंह व कहीं पर कर्मजीत सिंह उर्फ परमजीत सिंह दर्ज है तथा कहीं परमजीत सिंह दर्ज है। वादी संख्या 1 के पहचान के समस्त दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड व उसके पुत्र के पासपोर्ट व पत्नी के आधार कार्ड में उसका सही व वास्तविक नाम कर्मजीत सिंह सिधू द[illegible] वादी संख्या 1 राजस्व रिकॉर्ड में अपना सही व [illegible] नाम [illegible]जीत [illegible]ह सिधू दर्ज करवाना चाहता है। चक 1—एल.एन.पी. के खाता [illegible] मुरब्बा नम्बर 24, 40, 55, 65 व 67 की कुल 13.892 हैक्टेयर कृषि भूमि [illegible] वादी संख्या 3 मनजीत सिंह पुत्र हरचरण सिंह का हिस्सा 2315/6946 पू[illegible] में पंजाब एण्ड सिंध बैंक, शाखा बनवाली के पास रहन था। अब वादी संख्या 3 मनजीत सिंह द्वारा अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2024.10.25 17:35:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

ऋण की अदायगी कर दी गई है, इस सम्बन्ध में बैंक द्वारा एन.ओ.सी. भी जारी कर दी गई है। इसलिये अब पंजाब एण्ड सिंध बैंक, शाखा बनवाली का कोई हित शेष नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में संशोधित वाद पत्र में पंजाब एण्ड सिंध बैंक, शाखा बनवाली का नाम हटाया गया है। वाद में वर्णित कृषि भूमि में से चक 1-एल.एन.पी. व चक 2-एल.एन.पी. की कृषि भूमि तहसील श्रीगंगानगर में स्थित है जो कि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। अतः कानूनी प्रावधानों के अनुसार माननीय न्यायालय को दावा सुनने व निर्णीत कर डिक्री पारित करने का अधिकार हासिल है। अतः दावा माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में एवं तारीख इन्कारी से बिना किसी देरी के, उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः दावा वादीगण पेश करके अर्ज है कि दावा वादीगण स्वीकार करके उक्त मे का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद आपसी सद्भाव व प्रेम को बनाये रखने के लिए ये गये पारिवारिक समझौता दिनांक 14.01.2022 को मान्यता प्रदान करते हुए वाद पत्र मद संख्या 5 में अंकित/दर्ज भूमि प्रत्येक वादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करने, मला लगान कायम करने का आदेश दिया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 को देशित किया जावे कि वे राजस्व रिकॉर्ड में उक्त विभाजन के अनुसार भूमि दर्ज करें। सके अतिरिक्त राजस्व रिकॉर्ड में वादी संख्या 1 का सही व वास्तविक नाम कर्मजीत ंह सिधू दर्ज किये जाने एवं तदानुसार वाद पत्र की मद संख्या 5 में दर्ज रकबा वादी ख्या 1 के सही व वास्तविक नाम कर्मजीत सिंह सिधू के नाम से दर्ज करने के आदेश रमाये जायें। खर्चा मुकदमा दिलाया जावे। अन्य अनुतोष जो कि वादीगण के हक में , वह भी प्रदान किया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए म्मन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आपसी सहमति से करण में राजीनामा पेश किया गया जिसमें कथन किये गये कि उक्त अनवानी प्रकरण पक्षकारान का आपस में राजीनामा हो गया है। चूंकि पक्षकारान कर्मजीत सिंह उर्फ रमजीत सिंह, जितेन्द्रपाल कौर, मनजीत सिंह व राजपाल कौर एक ही खानदान के व ारिवारिक सदस्य हैं तथा पंचायत द्वारा पक्षकारान के मध्य राजीनामा करवा दिया गया । इसके सम्बन्ध में पारिवारिक सदस्यों के मध्य दिनांक 14.01.2022 को लिखित टवारानामा भी तहरीर करवाया गया था व उसी अनुसार आज तक वादीगण कर्मजीत सिंह उर्फ परमजीत सिंह, जितेन्द्रपाल कौर व मनजीत सिंह अपने-अपने हिस्से में आये कबे पर काबिज चले आ रहे हैं जिसको कागजात राज में अमल दरामद करवाने के लिए उक्त अनवानी दावा वादीगण द्वारा दायर किया गया। हम पक्षकारान पुनः माननीय यायालय के समक्ष, पंचायत में हुए राजीनामा अनुसार लिखित में राजीनामा पेश कर रहे हैं। राजीनामा अनुसार प्रत्येक पक्षकार के हिस्सा में आये रकबे का विवरण निम्न प्रकार है:-

(iv) वादी संख्या 1 कर्मजीत सिंह उर्फ परमजीत सिंह के हिस्सा व कब्जा में आई कृषि भूमिः-

a) चक 2-एल.एन.पी., तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 131/98, मुरब्बा **नम्बर 6** के किला नम्बर 3/2, 7, 8/2, ... /2, ... 17, 18/1, 23/2 व 24 की **1.644 हैक्टेयर** भूमि।

b) चक 1-एल.एन.पी., तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 113/91, मुरब्बा **नम्बर 65** के किला नम्बर 1, 2, 3/1, 8/..., 9, 10, 11, 12, 13/1, 18/2, 19, 20, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1 व 23/3 की 3.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2024.10.25 17:55:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

162 हैक्टेयर नहरी मय खाला तथा मुरब्बा नम्बर 67 के किला नम्बर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25/1 व 25/2 की 5.566 हैक्टेयर नहरी मय खाला।

इस प्रकार कुल वादी संख्या 1 को प्राप्त कुल रकबा 1.644 + 3.162 + 5.566 = 10.372 हैक्टेयर।

(v) **वादी संख्या 2 जितेन्द्रपाल कौर के हिस्सा व कब्जा में आई कृषि भूमिः—**

a) चक 1—एल.एन.पी., तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 113/91, मुरब्बा नम्बर 67 के किला नम्बर 1/1, 1/2, 2 व 3 की 0.759 हैक्टेयर नहरी मय खाला।

इस प्रकार कुल वादी संख्या 2 को प्राप्त कुल रकबा 0.759 हैक्टेयर।

उक्तानुसार वादी संख्या 1 व 2, जो कि पति—पत्नी हैं, को प्राप्त कुल रकबा 10.372 + 0.759 = 11.131 हैक्टेयर।

(vi) **वादी संख्या 3 मनजीत सिंह के हिस्सा व कब्जा में आई कृषि भूमिः—**

a) चक 1—एल.एन.पी., तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 113/91, मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 21/3, 22/2, 23/2, 24/2 व 25/2 की 0.065 हैक्टेयर नहरी तथा मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 23/2, 24/2 व 25/2 की 0.039 हैक्टेयर खाला, मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 3, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8, 13, 14/1, 14/2, 15/1, 15/3, 15/4, 16/1, 16/2, 17, 18, 19/1, 19/2, 22, 23, 24, 25/1 व 25/2 की 4.301 हैक्टेयर नहरी मय खाला।

b) चक 1—एल.एन.पी., तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 16/17, मुरब्बा नम्बर 49 के किला नम्बर 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, 9 व 10/1 की 2.302 हैक्टेयर नहरी मय खाला।

c) चक 12—बी.जी.एस., तहसील सादुलशहर के खाता संख्या 114/114, मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/2, 3/4, 8/2, 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12, 13/1, 18/2, 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22 व 23/1 की 3.162 हैक्टेयर नहरी मय रास्ता।

इस प्रकार वादी संख्या 3 को प्राप्त कुल रकबा 0.065 + 0.039 + 4.301 + 2.302 + 3.162 = 9.869 हैक्टेयर।

प्रथम पक्ष/वादीगण एवं द्वितीय [illegible] संयुक्त परिवार में आपसी सद्भावना व प्रेम बनाये रखने के लिए आप[illegible] बैठ कर पारिवारिक समझौता कर लिया ताकि परिवार [illegible] बनी रहे। उक्त विभाजन/वंटवारा से सभी पक्षकार[illegible] हैं। पक्षकारान के हिस्सा व कब्जा में उपरोक्तानुसार रकबा आया है जि[illegible]पर वे अरसा दराज से काबिज चले आ रहे हैं। राजीनामा की रूह से उपरोक्तानुसार पक्षकारान के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2024.10.25 17:55:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

से राजस्व रिकॉर्ड में रकबा अमल दरामद कर दिया जाये जिससे पक्षकारान पूर्णतः सहमत हैं। इसके अतिरिक्त वादी संख्या 1 ने अपने वाद पत्र में धारा 136, भू–राजस्व अधिनियम का अनुतोष चाहा है व वह स्वयं को बंटवारा में प्राप्त होने वाले रकबा को अपने सही व वास्तविक नाम कर्मजीत सिंह सिधू के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहता है। इस हेतु पक्षकारान को कोई आपत्ति नहीं है। इससे सभी पक्षकारान पूर्णतः सहमत हैं।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर एवम् तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत्–2071 –2074 ग्राम 1 एलएनपी, पटवार क्षेत्र चक महाराजका, भू.अ.नि. क्षेत्र चक महाराजका खाता संख्या 113/91, जमाबंदी सम्वत्–2071 –2074 ग्राम 1 एलएनपी, पटवार क्षेत्र चक महाराजका, भू.अ.नि. क्षेत्र चक महाराजका खाता संख्या 16/17, जमाबंदी सम्वत्–2072 –2075 ग्राम 2 एलएनपी, पटवार क्षेत्र चक महाराजका, भू.अ.नि. क्षेत्र चक महाराजका खाता संख्या 131/98, जमाबंदी सम्वत्–2074 –2077 ग्राम 12 बी.जीएस., पटवार क्षेत्र भागसर, भू.अ.नि. क्षेत्र चक बनवाली तहसील सादुलशहर के खाता संख्या 114/114, की प्रति पेश की गई। वादीगण एवं प्रतिवादी एक ही परिवार से हैं। वादी संख्या 1 ने अपने वाद पत्र में धारा 136, भू–राजस्व अधिनियम में स्वयं को बंटवारा में प्राप्त होने वाले रकबा को अपने सही व वास्तविक नाम कर्मजीत सिंह सिधू के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने का अनुतोष चाहा गया है इस हेतु पक्षकारान को कोई आपत्ति नहीं है। प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं है। वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य पारिवारिक सहमति हो चुकी है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तवेजात एवम् जमाबन्दीयो के अवलोकन से न्यायालय वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर वाद स्वीकार किये जाने योग्य पाता है।

हमनें सम्बंध में आरआरडी 1981 पेज 512 आरटीए की धारा 40–53, 38–39–40, आरआरडी 1966 पेज 71 एआईआर 1976 ;एससीद्ध पेज 807 व 178 आरआरडी पेज 219 आरआरडी 1975–478, एआईआर 1966 ;एससीद्ध 432 आरआरडी 1975 पेज 489 की नजीरों का अवलोकन किया।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्युद्ध अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। हिन्दु उतराधिकार विधि के अनुसार का पैतृक सम्पंति में [illegible] से ही अधिकार है।

मुताबिक एआईआर 1976 एससी 807 के [illegible] हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्र[illegible] किया [illegible] का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम [illegible] ने पारि[illegible] को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या कि[illegible] के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2024.10.25 17:55:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

अनवान कर्मजीत सिंह बनाम राजपाल कौर
वाद मुकदमा नं.25/2022

—:: आदेश ::—

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर [illegible]गण एवं प्रतिवादी को निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है:—

[illegible]सं.	खातेदार का नाम	रकबा का विवरण
	कर्मजीत सिंह उर्फ परमजीत सिंह पुत्र स्व. श्री हरचरण सिंह (वादी संख्या 1)	चक 2—एल.एन.पी., तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 131/98, **मुरब्बा नम्बर 6** के किला नम्बर 3/2, 7, 8/2, 13/2, 14, 17, 18/1, 23/2 व 24 की **1.644 हैक्टेयर नहरी**। चक 1—एल.एन.पी., तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 113/91, **मुरब्बा नम्बर 65** के किला नम्बर 1, 2, 3/1, 8/2, 9, 10, 11, 12, 13/1, 18/2, 19, 20, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1 व 23/3 की **3.162 हैक्टेयर** नहरी मय खाला तथा **मुरब्बा नम्बर 67** के किला नम्बर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25/1 व 25/2 की **5.566 हैक्टेयर** नहरी मय खाला। **इस प्रकार कुल वादी संख्या 1 को प्राप्त कुल रकबा 1.644 + 3.162 + 5.566 = 10.372 हैक्टेयर।**
	जितेन्द्रपाल कौर पत्नी श्री कर्मजीत सिंह उर्फ परमजीत सिंह (वादी संख्या 2)	चक 1—एल.एन.पी., तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 113/91, **मुरब्बा नम्बर 67** के किला नम्बर 1/1, 1/2, 2 व 3 की **0.759 हैक्टेयर** नहरी मय खाला। **इस प्रकार कुल वादी संख्या 2 को प्राप्त कुल रकबा 0.759 हैक्टेयर।** **उक्तानुसार वादी संख्या 1 व 2, जो कि पति—पत्नी हैं, को प्राप्त कुल रकबा 10.372 + 0.759= 11.131 हैक्टेयर।**
	मनजीत सिंह पुत्र स्व. श्री हरचरण सिंह (वादी संख्या	चक [illegible] के खाता संख्या 113/[illegible] के किला नम्बर 21/3, 22/2, 23/2, 24/2 व 2[illegible]2 की **0.065 हैक्टेयर** नहरी तथा **मुरब्बा नम्बर 40** के किला नम्बर 23/2,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2024.10.25 17:35:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

3)		24/2 व 25/2 की **0.039 हैक्टेयर** खाला, **मुरब्बा नम्बर 55** के किला नम्बर 3, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8, 13, 14/1, 14/2, 15/1, 15/3, 15/4, 16/1, 16/2, 17, 18, 19/1, 19/2, 22, 23, 24, 25/1 व 25/2 की **4.301 हैक्टेयर** नहरी मय खाला। चक 1—एल.एन.पी., तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 16/17, **मुरब्बा नम्बर 49** के किला नम्बर 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, 9 व 10/1 की **2.302 हैक्टेयर** नहरी मय खाला। चक 12—बी.जी.एस., तहसील सादुलशहर के खाता संख्या 114/114, **मुरब्बा नम्बर 12** के किला नम्बर 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/2, 3/4, 8/2, 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12, 13/1, 18/2, 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22 व 23/1 की **3.162 हैक्टेयर** नहरी मय रास्ता। **इस प्रकार वादी संख्या 3 को प्राप्त कुल रकबा 0.065 + 0.039 + 4.301 + 2.302 + 3.162 = 9.869 हैक्टेयर।**

वादी संख्या 1 द्वारा वाद पत्र में अधियाचित 136 एलआर एक्ट का अनुतोष वीकार किया जाकर उसे बंटवारा में प्राप्त होने वाली भूमि उसके सही व वास्तविक नाम र्मजीत सिंह सिधू के नाम से दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। खर्चा फरीकैन पना—अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये ानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर एवम् तहसीलदार सादुलशहर को आदेशित िया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर ऋृण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) र्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर ... जावे।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से ... दिनांक 20.09.2024 को जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2024.10.25 17:55:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner